जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651337 (का) 2651389(नि) फेक्स नं० 2741870
जयपुर फोन नं. 0141 2740121 (का) फेक्स नं. 2740121

क्रमांकः– प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु–वाणिज्य/पत्रा० /प्रे०सं०/339 जोधपुर, दिनांकः– 14/11/05

आदेश

विषयः कृषि उपभोक्ताओं के यहां केपेसीटर लगाने हेतु ।

कई मौकों पर यह ध्यान में लाया गया है कि कई कृषकों द्वारा या तो केपेसीटर की राशि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के यहां जमा करा दी थी अथवा कृषकों द्वारा स्वंय का केपेसीटर निवर्तमान विद्युत मण्डल/विद्युत वितरण निगम के पास टेस्टिंग हेतु राशि एवं केपेसीटर जमा करा दिये जाने के बावजूद उनके यहां केपेसीटर नहीं लगाये गये हैं । इन सबके उपरान्त भी निगम द्वारा प्रतिमाह उनसे बिलिंग राशि का 3 प्रतिशत सरचार्ज वसूल किया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशानी का अनुभव हो रहा हैं, इस विषय में विचार–विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये है :–

1– जिन कृषकों द्वारा केपेसीटर हेतु राशि जमा करा दी गई है एवं निगम द्वारा केपेसीटर नहीं लगाये गये है उनसे विद्युत बिलों में सरचार्ज नहीं लगाया जावें । यदि पूर्व में इन उपभोक्ताओं से सरचार्ज की राशि वसूल की गई हैं उस राशि को उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में समायोजित कर लौटा दी जावें ।

2– इसी प्रकार जिन कृषि उपभोक्ताओं द्वारा स्वंय का केपेसीटर मय टेस्टिंग फीस के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा करा दिये गये थे एवं निगम द्वारा केपेसीटर नहीं लगाये गये उनसे भी सरचार्ज की राशि वसूल नहीं की जावें । यदि पूर्व में इन उपभोक्ताओं से सरचार्ज की राशि ली गई है तो उसे भी मासिक बिलों में समायोजित कर लौटा दी जावें ।

3– सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उपभोक्ताओं से केपेसीटर की राशि जमा करवा ली गई है तो उपभोक्ता के परिसर में केपेसीटर शीघ्र लगाये । इसी प्रकार यदि उपभोक्ता का केपेसीटर टेस्टिंग हेतु जमा करवाया हैं तो उसे प्राथमिकता से टेस्ट कराकर उपभोक्ता परिसर में लगाए । उसके लिए उपखण्ड के रिकार्ड के अनुसार कार्यवाही करें । यदि उपखण्ड रिकार्ड उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित उपभोक्ता से सम्पर्क कर उसके पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार कार्यवाही करें । यह कार्य प्रत्येक उपखण्ड कार्यालय में एक माह के अन्दर पूर्ण कर दिया जाए । कार्य में देरी के लिये सम्बन्धित सहायक अभियन्ता जिम्मेदार होंगे ।

आदेशानुसार,

(एच०एस०देवड़ा)
मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर